छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा पंचम सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.18 बजे स्थगित की जाकर 11.27 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 53 तारांकित एवं 74 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

3. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्या श्रीमती अनिला भेंड़िया को जन्मदिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) **पटल पर रखा** ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024),

(3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024), तथा

(4) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023-2024,

पटल पर रखे ।

6. दिसंबर, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसंबर, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267 "क" के अधीन दिसंबर, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" के अधीन दिसंबर, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा षष्ठम् विधान सभा के दिसंबर, 2024 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से 6 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया-:

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) सुश्री लता उसेण्डी

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

10. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल सदस्य, डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों द्वारा अघोषित बिजली कटौती एवं लो-वोल्टेज की समस्या संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय भूपेश बघेल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के नेता सहित विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा बिजली की अघोषित कटौती से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचना का मैंने अवलोकन किया। आज अनुपूरक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके पश्चात् माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। यहां सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय मिलेगा। अत: विचारोपरांत मैंने इस प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया है।

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश सदस्य ने बिलासपुर जिले के ग्राम लोफंदी में मादक पदार्थों के सेवन से लोगों की मौतें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

13. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

14. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सुव्यवस्थित कार्य योजना नहीं बनाये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

15. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267- क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
3. श्री दिलीप लहरिया
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते

16. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्रीमती भावना बोहरा
2. श्री रिकेश सेन

17. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान मांग संख्या - 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 54, 56, 64, 65, 67, 71, 75, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार सात सौ बांसठ करोड़, बारह लाख, बयालीस हजार, पांच सौ तेईस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर (जारी)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राघवेन्द्र कुमार सिंह, नीलकंठ टेकाम, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 05.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा